प्रेस नोट

16.08.2019

<u>थाना दक्षिणटोला क्षेत्रान्तर्गत 32 शीशी(180 एमएल) अवैध देशी शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार–</u>

मऊ। अवैध शराब कारोबार/कारोबारियों के विरूध्द चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा आज दिनांक 16.08.19 को देखभाल क्षेत्र व चेंकिग के दौरान बख्तावरगंज से सतेन्द्र सिंह पुत्र रवि सिंह निवासी हरपुर थाना सरायलखन्सी मऊ के कब्जे 32 शीशी(180 एमएल) अवैध देशी शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्त के विरूध्द मु0अ0सं0 157/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

<u>थाना सरायलखन्सी क्षेत्रान्तर्गत एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–</u>

मऊ। थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा दिनांक 15.08.19 सायंकाल देखभाल क्षेत्र व चेंकिग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर राघोपट्टी से मु0अ0सं0 369/19 धारा 354बी भादवि व 3(2)5क एसटी–एससी एक्ट में वांछित अभियुक्त मुहम्मद असरफ पुत्र मुहम्मद इशराईल निवासी खेदुपुरा थाना दक्षिणटोला मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

<u>शांति भंग की आशंका में 07 व्यक्ति व 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–</u>

मऊ। जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 16.08.19 को देखभाल क्षेत्र व चेंकिग के दौरान थाना **मधुबन पुलिस** द्वारा राजकुमार निवासी मित्तनपुर, रंजीता निवासी भवानी सराय, संजय निवासी गजियापुर, रमाकान्त, रामदुलारे निवासीगण खैरा–देवारा थाना मधुबन, थाना **सरायलखन्सी पुलिस** द्वारा बब्लू राजभर निवासी चान्दमारी इमिलिया थाना सरायलखन्सी, थाना **हलधरपुर पुलिस** द्वारा धर्मेन्द्र निवासी जमदरा थाना हलधरपुर को शांति भंग की आशंका में धारा 151 सीआरपीसी के अर्न्तगत व थाना **कोपागंज पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्तगण** फुलचन्द्र पुत्र सुखई, रामध्यान पुत्र फुलचन्द्र निवासीगण डेकवारा थाना कोपागंज मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

MEDIA CELL MAU